न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एस.सी./एस.टी.(पी.ए.) एक्ट, सुलतानपुर।
उपस्थितः राकेश पाण्डेय {उच्चतर न्यायिक सेवा}
(जे0ओ0 कोड नम्बरः-2397)
UPST010036202025

फौजदारी वाद संख्याः 311/2025,
किन्नी कुमार-------- बनाम--------अनिल मिश्रा आदि,
दिनांक 20.06.2026

1. पत्रावली आज आदेश हेतु नियत है। परिवादी के विद्वान अधिवक्ता को पूर्व नियत तिथि पर सुना जा चुका है। पत्रावली का सम्यक रूप से परिशीलन किया गया।

2. संक्षेप में परिवादी का कथन इस प्रकार है कि दिनांक 14.03.2025 होली के दिन परिवादी अपने परिवार के संग होली खेल रहा था कि समय लगभग 03.00 बजे परिवादी के घर पर परिवादी के गांव के अनिल मिश्र सुत रामप्रसाद मिश्र व अनिल मिश्र का लड़का कुलदीप मिश्र, विकास पाण्डेय पुत्र गोली पाण्डेय, आलोक पाण्डेय पुत्र गिरजा पाण्डेय आये और परिवादी के घर की औरतों के साथ घर में घुसकर छेड़खानी करते हुए अभद्रता करने लगे। जब परिवादी व उसके परिवार के सदस्यों ने उन लोगों को ऐसा करने से मना किया तो सब लोग एक राय होकर जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए कहे कि साले मंगता तुम हम लोगों को मना नहीं कर सकते। ऐसा कहते हुए सब लोग दौड़कर अपने घर से लाठी डण्डा बल्लम लेकर आये और परिवादी के पिता पप्पू पुत्र बडकऊ के दाहिने जांघ पर अनिल कुमार ने बल्लम से हमलाकर दिया और सब लोग मिलकर परिवादी के भाई गुड्डू को मारने लगे जिससे उसके शरीर व सिर में चोटें आयी, उसके सिर में घाव हो गया और यह उल्टी करने लगा और बाद में बेहोश हो गया, इसके बावजूद भी आलोक पाण्डेय, कुलदीप मिश्रा व विकास घर के अन्दर घुसकर एक बार फिर परिवादी की पत्नी रूबी व बहन प्रीती के साथ छेड़खानी व अभद्रता करने लगे और कहने लगे कि तुम सब मंगता लोग हमारी जमीन से निकल जाओ नहीं तो एक-एक लोगों की लाशे विछा दूंगा। उक्त घटना में परिवादी के पिता व भाई को चोटें आयी थी। परिवादी उनको लेकर थाना हलियापुर गया वहां पर कोई रिपोर्ट नहीं लिखी गयी तब एम्बूलेन्स से सबको लेकर सानुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बल्दीराय गया जहां पर चोटहिलों का मेडिकल व दवा इलाज हुआ।

3. परिवादी सर्वेश द्वारा धारा 223 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के बयान में सशपथ कथन किया है कि दिनांक 11.3.2025 को दिन 3 बजे की है। अमित मिश्रा, कुलदीप मिश्रा, आलोक पाण्डेय, विकास पाण्डेय हमारे घर में घुम आये और मेरी बीबी व बहन को रंग लगाने लगे। हम लोगों ने मना किया तो गाली-गलौज करने लगे कि साले

चमार हमे मना कर सकते हो फिर वो घर से पाकर बल्लम ओर लाठी लाये और मेरे पिता को बल्लम से मारा उनके जांघ में चोट आ गयी। गुड्डू के सर पर मारा जिससे उसे गंभीर चोटें आये। पुलिस को 112 पर फोन किया तो पुलिस आयी एम्बुलेस तके डॉक्टर को दिखाया। एफ0आई0आर0 नहीं लिखी गयी तो मैने ऑनलाइन प्रार्थना पत्र दिया पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। इसी आशय का कथन पप्पू एवं यशोदा द्वारा अपने बयान अन्तर्गत धारा 223 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में किया गया है।

मैंने परिवादी के बयान, उसके द्वारा प्रस्तुत गवाहों के बयान तथा समस्त पत्रावली का सम्यक अवलोकन किया।

5. पत्रावली पर उपलब्ध संपूर्ण अभिलेखों, परिवादी के धारा 200 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत सशपथ कथन, धारा 202 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत परीक्षित गवाहों के कथनों का सम्यक् परिशीलन किया गया। अभिलेख से विदित होता है कि कथित घटना दिनांक 14.03.2025 की है। परिवादी द्वारा आरोप लगाया गया है कि विपक्षीगण द्वारा जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए मारपीट एवं महिलाओं के साथ अभद्रता की गयी। थाना हलियापुर द्वारा प्रेषित आख्या से यह तथ्य प्रकाश में आता है कि उक्त घटना के सम्बन्ध में विपक्षी पक्ष की ओर से मु0अ0सं0-18/2025, धारा 110, 118(1), 115(2), 352 बी.एन.एस. थाना हलियापुर, जनपद सुलतानपुर पंजीकृत कराया गया था, जिसमें वर्तमान परिवादी पक्ष के व्यक्तियों को अभियुक्त नामजद किया गया तथा विवेचना उपरान्त आरोपपत्र न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है और वाद विचाराधीन है। न्यायालय द्वारा प्रेषित नोटिस के अनुपालन में विपक्षी शिवपूजन मिश्र न्यायालय के समक्ष उपस्थित आए और उक्त परिवाद में लिखित आपत्ति प्रस्तुत करते हुए कथन किया कि घटना के समय परिवादी पक्ष के लोग शराब के नशे में धुत होकर विपक्षी पक्ष के घर पर आए तथा घातक प्रहार कर उन्हें मारपीट करने लगे। उक्त मारपीट के दौरान अनिल मिश्र एवं कुलदीप मिश्र के शरीर के मर्मस्थलों पर गंभीर चोटें आईं। उक्त कथन के समर्थन में घायल अनिल मिश्र के सिर पर आयी चोट का छायाचित्र भी प्रस्तुत किया गया है, जिससे विपक्षी पक्ष के घायल होने का प्रथम दृष्टया समर्थन होता है। परिवादी के समर्थन में परीक्षित साक्षी पी0डब्ल्यू0 1 पप्पू एवं पी0डब्ल्यू0 2 यशोदा, परिवादी के निकट संबंधी हैं। इनके अतिरिक्त किसी स्वतंत्र एवं निष्पक्ष प्रत्यक्षदर्शी साक्षी का परीक्षण नहीं कराया गया है। कथित घटना होली जैसे सार्वजनिक पर्व पर दिन के समय घटित होना बतायी गयी है, तथापि किसी स्वतंत्र ग्रामीण अथवा पड़ोसी को साक्षी के रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया है। यह भी उल्लेखनीय है कि परिवादी पक्ष के विरुद्ध उक्त घटना के सम्बन्ध में पूर्व से अभियोग पंजीकृत होकर आरोपपत्र न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में वर्तमान परिवाद में किये

गये आरोप प्रथम दृष्टया उसी घटना के प्रतिशोधस्वरूप अथवा अपने बचाव में विपक्षी पक्ष पर दबाव बनाने के उद्देश्य से लगाए गये प्रतीत होते हैं। परिवादी द्वारा प्रस्तुत मौखिक साक्ष्य स्वतंत्र एवं निष्पक्ष पुष्टिकरण से रहित है तथा उपलब्ध अभिलेखों से आरोपों की पर्याप्त पुष्टि नहीं होती है। अतः प्रस्तुत परिवाद निरस्त किए जाने योग्य है।

आदेश

फौजदारी वाद संख्या 311/2025 किन्नी कुमार बनाम अनिल मिश्रा आदि, धारा 203 द0प्र0सं0/226 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अन्तर्गत निरस्त किया जाता है।

ह0

(सुधीर सिंह स्टेनो)

(राकेश पाण्डेय)
विशेष न्यायाधीश,
एस0सी0/एस0टी0(पी0ए0) एक्ट
सुलतानपुर।
(जे0ओ0 कोड नम्बरः-2397)